सख्या:- 175/2026/आई-1495940/001-595आ0/23-5002-002-48-2023
(क0सं0-1753677)

प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 16 अक्टूबर, 2026**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत भारतीय सड़क कांग्रेस में उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की वार्षिक सदस्यता शुल्क के अवशेष भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ(बजट 'क' वर्ग) के पत्र संख्या-323/13प्रशिक्षण/बी0डी0डी0-12/2022-23, दिनांक-16.09.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय सड़क कांग्रेस में उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की वार्षिक सदस्यता शुल्क के अवशेष भुगतान हेतु धनराशि **रू0 02.50 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद में किया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 2,50,000 (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20262027 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 058 **लेखाशीर्षक** 3054808000500-भारतीय सड़क कांग्रेस को सहायता **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न सं0-E-8-354-X-2026-27 , दिनांक 07.10.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 175/2026/आई-1495940/001-595आ0(1)/23-5-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

5- प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लो0नि0वि0, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।

7- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1/प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ।

8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in